संख्या-94/2018/3351/सैंतीस-2-2018-1(53)/2017

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 अक्टूबर, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशु संजीवनी कार्यक्रम (60 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-833(3)/यूपीएलडीबी/ए.इ.एस./रागोमि:एनएमबीपी/2018-19, दिनांक-13.09.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-89/2018/2826/सैंतीस-2-2018-1(53)/2017, दिनांक-11.09.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशु संजीवनी कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-666.67 लाख (रूपये छः करोड़ छाछठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में मानक मद 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में स्वीकृत धनराशि रू0-265.38 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-265.37 लाख अंकित हो गयी है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दिनांक-11.09.2018 में मानक मद 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में स्वीकृत धनराशि रू0-265.37 लाख के स्थान पर रू0-265.38 लाख पढ़ी जाये

2- शासनादेश दिनांक-11.09.2018 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-676/दस-2018, दिनांक-20.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-94/2018/3351(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in